रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 1985/कार्तिक 17, 1907
No. 16] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 1985/KARTIKA 17, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1985

सं. -34/का. मा. ई. पी. 36/(2)/85.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित विनियम बनाकर भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में इस प्रकार संशोधन करता है।

1. (1) ये विनियम भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (91वां संशोधन) विनियम 1985 कहे जायेंगे।

(2) ये तत्काल प्रभावी होंगे ।

2. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971, के विनियम, 51 के अंतर्गत एक उप विनियम इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"51 (3) कोई कर्मचारी जिसने भारतीय राष्ट्रीयता रखने वाले के अलावा किसी अन्य से विवाह किया है या करता है तो वह इसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा ।"

वि. क. भिसे, सचिव

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 1985

No. 34|F. No. EP. 36(2)|85.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971, namely :—

1. (i) These Regulations may be called the Food Corporation of India (Staff) (91st Amendment) Regulations, 1985.

(ii) They shall come into force with immediate effect.

2. A sub-regulation under Regulation 51 of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 shall be added as follows :—

"51 (iii). An employee who has married or marries a person other than that of Indian Nationality, shall forthwith intimate the fact to the competent authority."

V. K. BHISE, Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985